न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः– हरि मोहन, I.A.S.

प्रकरण संख्या –12/2014 (अपील)

जीसीएसएस नं0 2014/00053

सजनी पुत्री श्री देवलाल जाति मीणा निवासीया चारियाखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0

––अपीलाण्ट.

बनाम

1. राजूलाल आत्मज भंवरलाल जाति मीणा निवसी असकली
2. रवि कुमार आत्मज भंवरलाल जाति मीणा निवासी असकली
3. चिन्टू आत्मज भंवरलाल जाति मीणा निवासी असकली
4. विद्याबाई पुत्री भंवरलाल जाति मीणा निवासी असकली
5. शांतिबाई बेवा भंवरलाल जाति मीणा निवासी असकली
6. अजेश पुत्र छीतरलाल नाबालिग जर्ये वलिया माता गीताबाई पत्नि छीतरलाल जाति मीणा निवासी असकली
7. अंजली पुत्री छीतरलाल नाबालिग जर्ये वलिया माता गीताबाई पत्नि छीतरलाल जाति मीणा निवासी असकली
8. गीताबाई बेवा छीतरलाल जाति मीणा निवासी असकली तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राज0
9. नायब तहसीलदार उप तहसील चेचट, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

–––रेस्पोडेन्ट.

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व नायब तहसीलदार चेचट बनाराजगी आदेश इन्तकाल नं. 235 दिनांक 14.09.1998 नामान्तकरण

उस्थिति

1. श्री अन्सार अहमद,मो0 यूसूफ अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री बृजराज सिंह, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक–27.06.022

.1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, चेचट द्वारा ग्राम चारियाखेड़ी में मृतक खातेदार देवा आत्मज नन्दा का फौती नामा0 सं0 235 में मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व जांच आई0एल0आर0 एवं सजरे अनुसार अपने निर्णय दिनांक 14.09.1998 से स्वीकृत किया गया । उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह अपील दिनांक 04.02.2014 को लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के साथ पेश की गई

जिला कलेक्टर
कोटा

2. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पोडेन्ट को नोटिस बाद तामिल प्राप्त । रेस्पो0 नं0 6,7,8 की ओर से एडवोकेट मुकेश शर्मा का वकालतनामा पेश हुआ किन्तु रेस्पो0 एवं वकील रेस्पो0 काफी लम्बे समय से अनुपस्थित चल रहे है, दौराने बहस भी रेस्पो0 एवं वकील रेस्पो0 अनुपस्थित है । ऐसी स्थिति में रेस्पो0 की अनुपस्थित दर्ज की जाकर वकील अपीलान्ट एवं राजकीय अभिभाषक बहस सुनी गई

3. वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील मेमें में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम चारियाखेडी तहसील रामगंजमण्डी में स्थित आराजी खरा नं0 110 की 0.74 हे. खसरा नं. 111 की 0.75 हे0 कुल किता 2 रकबा 1.49 हे0 स्थित है । मृतक खातेदार देवा आत्मज नन्दा जाति मीणा निवासी असकली तहसील रामगंजमण्डी के सिलसिले में जेर अपील फौती इन्तकाल नं. 235 नायब तहसील चेचट दिनांक 14.9.1998 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो0 नं0 1 लगायत 8 के पक्ष में तस्दीक किया गया है तथा मद नं0 1 में वर्णित उक्त आराजी रेस्पो0 नं0 1 लगायत 8 के नाम दर्ज है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मद नं0 2 में पारित जेर अपील आदेश इन्तकाल पारित करने से पूर्व सजगता एवं सतर्कता पूर्वक कोई किसी प्रकार की विधिसम्मत प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गाया ना ही साक्ष्य ली गयी, ना ही विधि सम्मत सजरे पर अमल किया गया ना ही विधि सम्मत कोरम में निर्णय लिया गया, ना ही किसी गवाह पंच अथवा पक्षकार के हस्ताक्षर कराये गये तथा विधि विरूद्व रूप से कानूनी प्रक्रिया की अनदेखी करते हुए लापरवाही पूर्वक गैर जिम्मेदाराना अंदाज में मनमाने तौर पर इन्दकाल आदेश पारित कर दिया जबकि खातेदार देवा आत्मज नन्दा के वंश वृक्ष अनुसार देवा के जायज वारिसान पुत्र मोतीलाल, पुत्र सजनी एवं बेवा (मृतक) थे जबकि उक्त इन्तकाल में पिता देवा के जायज वारिस अपीलान्ट 1 को नजर अंदाज करते हुये एक मात्र पुत्र मोतीलाल मानते हुये रेस्पोडेंट के पक्ष में त्रुटिपूर्ण आदेश पारित कर दिया जो विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है । उक्त अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी दिनांक 27.11.2013 को अपीलान्ट को किसान कार्ड बनाने के लिये खाते की नकल लेने हल्का पटवारी के पास जाने पर खाते की नकल प्राप्त करने पर खाते में अपना नाम न होने की जानकारी हुई तत्पश्चात दिनांक 4.12.2013 को इंतकाल की नकल प्राप्त कर जानकारी होने से अवधि मध्य अपील प्रस्तुत है । अतः अपील स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय इन्तकाल नं0 235 दिनांक 14.9.1996 उप तहसील चेचट निरस्त फरमाया जाकर नियमानुसार जांच कर बहक वारिसान मृतक खतेदार देवा की बसिलसिले अपील की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में नियमानुसार वैधानिक तरीके से जांच कर वास्तवितकता को रिकार्ड पर लाते हुये फौती इन्तकाल तस्दीक कर अमल दरामद किया जावें ।

4. हमने वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलान्टा द्वारा यह अपील नायब तहसीलदार चेचट के फौती नामान्तकरण संख्या 235 दिनांक 14.09.1998 के विरूद्व दिनांक 09.01.2014 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है जो लगभग 15 वर्ष बाद पेश की है । विलम्ब से अपील प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में दिनांक

जिला कलेक्टर
कोटा

27.11.2013 को किसान कार्ड के लिए पटवारी हल्का के पास नकल लेने जाने पर होना बताया है । 15 वर्ष की अवधि को क्षम्य करने के लिए वकील अपीलान्ट द्वारा कोई ठोस कारण एवं कोई न्यायिक दृष्टान्त आदि पेश नहीं किये है जिस आधार पर 15 वर्ष की विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जा सकें । ऐसी स्थिति में यह अपील मियाद बाहर पेश की जाने से लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है । अपील मियाद बाहर होने से मियाद के बिन्दु पर खारिज योग्य है ।

5. परिणामस्वरूपः अपील अपीलांट 15 वर्ष विलम्ब से मियाद बाहर पेश की गई है तथा विलम्ब को माफ करने के पर्याप्त एवं ठोस आधार एवं कानूनी तथ्य पेश नहीं किये जाने से अपील अपीलान्टा मियाद के बिन्दु पर अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है ।

6. निर्णय आज दिनांक 27.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)
जिला कलक्टर कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा